[1][Rule 80 : Annual return

(1) Every registered person, other than those referred to in the second proviso to section 44, an Input Service Distributor, a person paying tax

---

1 Rule 80 substituted by Noti. No. 30/2021-Central Tax, dt. 30-07-2021 w.e.f. 01-08-2021. Earlier to substitution it read as under:

"**Rule 80 : Annual return**

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return as specified under sub-section (1) of section 44 electronically in **FORM GSTR-9** through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in **FORM GSTR-9A.**

(2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in sub-section (5) of the said section in **FORM GSTR-9B.**

(3) Every registered person [A]**[**other than those referred to in the proviso to sub-section (5) of section 35,**]** whose aggregate turnover during a financial year exceeds two crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C**, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

[B]**[Provided that** for the financial year 2018-2019 and 2019-2020, every registered person whose aggregate turnover exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C** for the said financial year, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.**]**"

A Earlier inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

B **Proviso** earlier Substituted by Noti. No. 79/2020–Central Tax, dt. 15-10-2020 w.e.f 15-10-2020. Earlier to omission it read as under:

"[C][Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in FORM GSTR-9C for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.]"

C Earlier this proviso inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year as specified under section 44 electronically in **FORM GSTR-9** on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in **FORM GSTR-9A**.

[2]**[(1A)** Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for the financial year 2020-2021 the said annual return shall be furnished on or before the twenty-eighth day of February, 2022.**]**

(2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in sub-section (5) of the said section in **FORM GSTR-9B**.

(3) Every registered person, other than those referred to in the second proviso to section 44, an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, whose aggregate turnover during a financial year exceeds five crore rupees, shall also furnish a self-certified reconciliation statement as specified under section 44 in **FORM GSTR-9C** along with the annual return referred to in sub-rule (1), on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.**]**

[3]**[(3A)** Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), for the financial year 2020-2021 the said self-certified reconciliation statement shall be furnished along with the said annual return on or before the twenty-eighth day of February, 2022.**]**

---

2 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 29-12-2021.

3 Sub-rule (3A) inserted by Noti. No. 40/2021 – Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 29-12-2021.

[1][नियम 80 : वार्षिक विवरणी

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44 के अधीन यथानिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटीआर–9** में वार्षिक विवरणी को इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे

---

1 अधिसूचना क्रमांक 30/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.07.2021 द्वारा नियम 80 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.08.2021)।

नियम 80 : वार्षिक विवरणी

(1) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर–9** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप–धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर–9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक **प्ररूप जीएसटीआर–9ख** में उक्त धारा की उप–धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **[A][**उनके अलावा, जो धारा 35 की उपधारा (5) के परंतुक में निर्दिष्ट है], जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उप–धारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और वह प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

[B]**[परन्तु** वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए, ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका कुल आवर्त 5 करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उपधारा 5 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपने लेखाओं की संपरीक्षा करायेगा और वह संपरीक्षक वार्षिक लेखाओं की प्रति तथा उक्त वित्तीय वर्ष के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में या सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से सम्यक्तः प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करेगा।

A अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

B अधिसूचना क्रमांक 79/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.10.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था –

"[C][बशर्ते कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका कारोबार वित्तीय वर्ष 2018–19 में पांच करोड़ रूपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति, विधिवत अभिप्रमाणित हो, वित्तीय वर्ष 2018–19 के **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।]"

C अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आगामी 31 दिसम्बर को या उससे पहले, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम, से प्रस्तुत करेगा :

परन्तु धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर–9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

[2]**[(1क)** उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के स्थान पर उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।**]**

(2) धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक उक्त धारा की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–9ख** में प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि धारा 44 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 और 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और, अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न है, जिनक वित्तीय वर्ष के दौरान संकलित आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक हैं, सीधे सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्रों के माध्यम से, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आगामी 31 दिसम्बर को या उससे पहले, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के साथ धारा 44 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट स्वप्रमाणित समाधान विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** को भी दाखिल करेगा।**]**

[3]**[(3क)** उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के स्थान पर उक्त स्व–प्रमाणित समाधान विवरण 28 फरवरी, 2022 पर या पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।**]**

---

2 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2021)।

3 अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा उपनियम (3क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2021)।